



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 185-2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021 (KARTIKA 20, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 नवम्बर, 2021

संख्या 13/15/2010-6 परि0 (1).- हरियाणा मोटरयान कराधान अधिनियम, 2016 (2016 का 24), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/15/2010-6 परि0 (1), दिनांक 29 सितम्बर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/15/2010-6 परि0 (1), दिनांक 29 सितम्बर, 2017 में, सारणी में खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 13 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

1.	2.	3.
"14.	पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों द्वारा प्रदान किए गए स्टेज कैरिज परमिट के अनुसार हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में प्रवेश करने तथा चलने के दौरान उक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात् उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के अन्य राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा स्वामित्वाधीन बसें।	शून्य"।

कला रामचंद्रन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 11th November, 2021

No. 13/15/2010-6T(I).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016 (24 of 2016), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Haryana Government, Transport Department, notification No. 13/15/2020-6T(I), dated the 29th September, 2017, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Transport Department, notification No. 13/15/2010-6T(I), dated the 29th September, 2017 in the table, under column 1, 2 and 3, after serial number 13 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-

1	2	3
"14.	Buses owned by State Transport undertaking of other States of NCR i.e. Uttar Pradesh, Rajasthan and NCT of Delhi while entering and operating in NCR districts of Haryana as per Stage Carriage permit granted by the said NCR States under Reciprocal Common Transport Agreement.	Nil".

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Transport Department.